रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235956
CG-DL-E-21052022-235956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 359] | नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 2022/वैशाख 31, 1944 |
| No. 359] | NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21, 2022/VAISAKHA 31, 1944 |

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

**सं. 25/2022-सीमाशुल्क**

**सा.का.नि. 376(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 18/2019- सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "5 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "2 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 मई, 2022, से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/11/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 18/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 475(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 52/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 781(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2022

**No. 25/2022-Customs**

**G.S.R. 376(E).**—In exercise of the powers conferred by section 111 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2019-Customs, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 475 (E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table-

(i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry "Rs. 5 per litre" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry "Rs. 2 per litre" shall besubstituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd May, 2022.

[F. No. 354/11/2022–TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note** : The principal notification No. 18/2019-Customs, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 475(E), dated the 6th July, 2019 and last amended *vide* notification No. 52/2021-Customs, dated the 3rd November, 2021, *vide* number G.S.R. 781(E), dated 3rd November, 2021.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 21 मई, 2022

**सं. 02/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 377(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है ) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 4/2019- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 487(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "5 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "2 रू. प्रति लीटर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 22 मई, 2022 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 354/11/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 04/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 को सा.का.नि. 487(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 9/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संख्या सा.का.नि. 782(अ), तारीख 3 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2022

**No. 02/2022-Central Excise**

**G.S.R. 377(E).**—In exercise of the powers conferred by section 112 of Finance Act, 2018 (13 of 2018), read with section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referredto as the Excise Act), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 487(E), dated the 6th July, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) against Sl. No. 1, for the entry in column (4), the entry "Rs. 5 per litre" shall be substituted;

(ii) against Sl. No. 2, for the entry in column (4), the entry "Rs. 2 per litre" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd May, 2022.

[F. No. 354/11/2022–TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**Note** : The principal notification No. 04/2019-Central Excise, dated the 6th July, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number 487(E), dated the 6th July, 2019 and last amended *vide* notification No. 9/2021-Central Excise, dated the 3rd November, 2021, *vide* number G.S.R. 782(E), dated 3rd November, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.21 22:51:38 +05'30'